

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6642 का परिशिष्ट 'अ'

(प्रश्नांश 'ग' का परिशिष्ट 'अ')

भिण्ड जिले के आलमपुर में महाराजा मल्हारराव होल्कर की छत्री के समाने बगीचे अथवा शासकीय भूमि पर किये गए अवैध कब्जा/सीमांकन/की गई कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

"कस्वा आलमपुर के सर्वे क्रमांक 759/2 रकवा 0.809 है. 986 रकवा 3.683 है, 1003 रकवा 1.499 है, कुल कित्ता 3 कुल रकवा 5.99 है, जिसमें से खसरा नं. 986 रकवा 3.683 में से  $687 \times 60 = 29220$  वर्ग फीट अतिक्रमण है जिसे न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 250/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 24/08/2006 से सर्वे 986 रकवा 3.683 को नजूल भूमि घोषित किया गया है. उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 714-11-07 मल्हारराव होल्कर बनाम म0प्र0शासन एवं अन्य के नाम से वाद प्रचलित है. उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में माननीय न्यायालय में विवाद निर्धारण राजस्व मण्डल के निर्णय उपरांत वांछित कार्यवाही की जाना संभव है।"

*Bhuk*  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

संवर्धन विभाग मंत्रालय